

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-14/2013-

/पटना, दिनांक-

डा० गीता सिन्हा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अपने निजी खर्च पर दिनांक-20.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में विदेश (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० सिन्हा, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगी।
3. डा० सिन्हा, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगी।
4. डा० सिन्हा, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगी।
5. डा० सिन्हा, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगी।
6. डा० सिन्हा, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-फ़त्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगी।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
8. डा० सिन्हा के अनुपस्थिति में डा० मधु सिन्हा, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दैनिक प्रभार में रहेंगी।
9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

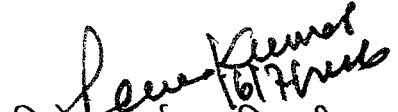
ज्ञापांक-17/एल 1-14/2013 - 859/17)

/पटना, दिनांक-17.07.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/डा० गीता सिन्हा, प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग-सह-प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ डा० मधु सिन्हा, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
MK